रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2696] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 2018/आषाढ़ 25, 1940
No. 2696] NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 2018/ASHADHA 25, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2018

का.आ. 3467(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन जल–भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) की दिनांक 18 अक्टूबर, 1996 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 728(अ) का अधिक्रमण करते हुए टायरों के आकार, प्रकृति और संख्या को ध्यान में रखते हुए, परिवहन यानों (मोटर कैबों को छोड़कर) के संबंध में प्रत्येक प्रकार की धुरी के अधिकतम सुरक्षा धुरी भार को निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात :–

अधिकतम सुरक्षित धुरी भार		
क्रम सं.	धुरी का प्रकार	अधिकतम सुरक्षित धुरी भार
1.	**एक धुरी**	
1.1	एक टायर के साथ एक धुरी	3.0 टन
1.2	दो टायर के साथ एक धुरी	7.5 टन
1.3	चार टायर के साथ एक धुरी	11.5 टन*
2.	**टेंडम धुरियॉ (दो धुरियॉ) (जहॉ दो धुरियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर से कम है)**	
2.1	दृढ़ यानों के लिए टेंडम धुरी, ट्रेलर्स और अर्ध–ट्रेलर्स	21 टन*
2.2	हाईड्रॉलिक और न्युमेटिक ट्रेलर्स के लिए पूलर ट्रैक्टर्स के लिए टेंडम धुरी	28.5 टन
3.	**तीन धुरियॉ (तीन धुरियॉ) (जहॉ बाहरी धुरियों के बीच की दूरी 3 मीटर से कम है)**	
3.1	तीन धुरियों के दृढ़ यानों, ट्रेलर्स और अर्ध–ट्रेलर्स	27 टन*
4.	धुरी पंक्ति के साथ (दो धुरियॉ प्रत्येक चार टायर) मॉड्यूलर हाईड्रॉलिक ट्रेलरों में (एक धुरी के लिए 9 टन भार अनुज्ञेय)	18 टन
***टिप्पण : यदि वाहन में न्यूमेटिक सस्पेंसन सज्जित है तो प्रत्येक धुरी पर 1 टन अतिरिक्त भार अनुज्ञेय होगा।**		

2. सकल वाहन भार (जीवीडब्लू) उपरोक्त के अनुसार स्वीकार्य सुरक्षित धुरी भार की कुल योग से अधिक नहीं होगा और किसी भी मामले में इससे अधिक नही होगा :–

(i) दृढ़ वाहनों के मामले में 49 टन, और

(ii) मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों को छोड़कर अर्ध आर्टिकुलेटेड ट्रेलरों और ट्रक ट्रेलरों के मामले में 55 टन।

3. मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर किसी भी भार की अविभाज्य प्रकृति के सामान को नियामक अनुमोदन के अधीन वहन कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण :– इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 113 की उपधारा (3) के अनुपालन के उद्देश्य के लिए सकल वाहन भार में पॉच प्रतिशत तक सहन अनुज्ञेय है।

[फा. सं. आर.टी.–11028/11/2017–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2018

S.O. 3467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Transport Wing), number S.O. 728(E) dated the 18th October, 1996, the Central Government hereby notifies the maximum safe axle weight of each axle type in relation to the transport vehicles (other than motor cabs), having regard to the size, nature and number of tyres, as under :—

Maximum Safe Axle Weight		
Sl. No.	**Axle Type**	**Maximum Safe Axle Weight**
1.	**Single Axle**	
1.1	Single Axle with single Tyre	3.0 tonnes
1.2	Single Axle with two Tyres	7.5 tonnes
1.3	Single Axle with four Tyres	11.5 tonnes*
2.	**Tandem Axles (Two axles) (where the distance between two axles is less than 1.8 Mtr.)**	
2.1	Tandem axle for rigid vehicles, trailers and semi-trailers	21 tonnes*
2.2	Tandem axle for Puller tractors for hydraulic and pneumatic trailers	28.5 tonnes
3.	**Tri–axles (Three axles) (where the distance between outer axles is less than 3 Mtr.)**	
3.1	Tri-axle for rigid vehicles, trailers and semi-trailers	27 tonnes*
4.	Axle Row (two axles with four tyres each) in Modular Hydraulic trailers (9 tonnes load shall be permissible for single axle)	18 tonnes
*** Note:** If the vehicle is fitted with pneumatic suspension, 1 tonne extra load is permitted for each axle.		

2. The gross vehicle weight (GVW) shall not exceed the total permissible safe axle weight as above and in no case shall exceed-

(i) 49 tonnes in case of rigid vehicles; and

(ii) 55 tonnes in case of semi-articulated trailers and truck-trailers except modular hydraulic trailers.

3. Modular hydraulic trailers can carry goods of indivisible nature of any load subject to the regulatory approvals as may be required.

Explanation .- For the purposes of this notification, tolerance upto five per cent. in the gross vehicle weight shall be allowed for the purpose of compliance to sub-section (3) of section 113 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

[F. No. RT-11028/11/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.16 22:49:08 +05'30'